अपील संख्या :– 10/2023

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-3-26	**मुलचंद बनाम कानाराम** पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानाराम का देहान्त अपील प्रस्तुत होने से पूर्व में हो चुका था जिसकी जानकारी अपीलांट को ना होने के कारण अपील में कानाराम को सहबन से पक्षकार बना लिया गया। अपील में सहबन से मृत व्यक्ति का नाम अंकित कर अपील प्रस्तुत कर दी गई है। मृतक कानाराम की मृत्यु अपील प्रस्तुत होने से पूर्व में ही हो चुकी थी एवं उसके जायज व कानूनी वारिसान में राईट टू सरवाईव करता है। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त दावा घोषणात्मक एवं विभाजन के अनुतोष से संबंधित है। इसलिए अनवानी अपील में मृतक कानाराम के वारिसान हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानाराम के स्थान पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर अपील के शीर्षक में संशोधन किये जाने के आदेश फरमावे। अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र दिनांक 8–10–2024 को प्रस्तुत किया है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–11–2022 को पारित किया गया था। उक्त अपीलाधीन आदेश हेतु लिमिटेशन दिनांक 08–01–2023 निर्धारित थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 09–01–2023 को अपील पेश की। अपील पेश करने के 2 वर्ष पश्चात आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आदेश 6 नियम 17 के तहत प्लीडिंग/अभिवचनो में संशोधन के प्रावधान है। आदेश 6 नियम 1 के तहत प्लीडिंग में केवल *प्लेन्ट* और *रिटन स्टेटमेंट* आते है। अपील मीमो में संशोधन आदेश 6 नियम 17 के तहत नही किये जा सकते। अपीलीय न्यायालय धारा 107 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय की शक्तियॉ प्रर्युक्त करने के लिए सक्षम है परन्तु चूंकि अधीनस्थ न्यायालय भी केवल प्लेन्ट/वाद–पत्र में ही संशोधन कर सकता था, अपील मीमो में नही। इसलिए यह न्यायालय धारा 107 सीपीसी के तहत भी अपील मीमो में संशोधन नही कर सकता। मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील NULLITY की श्रेणी में आती है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु 2007 पेज 100 प्रस्तुत की। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसे कानाराम की मृत्यु की जानकारी नही थी जबकि कानाराम अपीलांट का काका है। धारा 153 सीपीसी के तहत न्यायालय को संशोधन की शक्ति है परन्तु इसमें मियाद के प्रावधान लागू होते है जबकि अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 में न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक बताई है और ना ही धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जहॉ तक अपीलांट का यह कहना गलत है कि अपील में *राईट टू सू* शेष है। इस प्रकरण में सब पक्षकारो के हित संयुक्त है। जहॉ पक्षकारो के हित जॉइंट, नॉन सेपरेटेबल व इन विजिबल हो वहॉ *अबेटमेंट एज हॉल* होता है। इसलिए यहॉ आदेश 22 नियम 2 के प्रावधान लागू नही होगे। अतः अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 खारिज करते हुए अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु आरजे 2007 (1) पेज 100, एआईआर 1981 एच.पी. पेज 34, एआईआर 1965 कलकता पेज 459, एआईआर 1976 पेज 444, एआईआर 1968 केरला पेज 196, एआईआर 2012 उतराखण्ड पेज 21, एआईआर 1966 एससी पेज 1427, एआईआर 2010 पेज 5071, आईएलआर 1981 पेज 300(312), एआईआर एससी पेज 3397 प्रस्तुत किये।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया।

हस्तगत अपील में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने से पूर्व में मृत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का संशोधन चाहा गया है।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में निम्नाकिंत बिन्दूओं पर विनिश्चिय किया जाना है–

ए– क्या आदेश 6 नियम 17 के तहत अपील मीमो में संशोधन किया जा सकता है?

बी– क्या अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है?

सी– क्या अपील मृत व्यक्ति की हद तक अबेट होगी अथव सम्पूर्ण अपील अबेट होगी?

उपर्युक्त बिन्दुओ पर न्यायालय का विनिश्चिय निम्नानुसार है–

ए– आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। आदेश 6 नियम 17 के अनुसार–

Amendment of **pleadings.**—The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties: Provided that no application for amendment shall be allowed

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

after the trial has commenced, **unless the Court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.**

उक्त आदेश 6 नियम 17 के अनुसार **अभिवचनो में** परिवर्तन करने का प्रावधान है। आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवाचन से **वादपत्र** या **लिखित कथन** अभिप्रेरित होगा।

स्पष्ट है कि आदेश 6 नियम 17 के तहत केवल वाद पत्र और लिखित कथन में ही संशोधन किया जा सकता है। अपील मीमो वाद पत्र और लिखित कथन की परिभाषा में नही आता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि फिर अपील मीमो मे संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? इसके लिए सीपीसी की धारा 153 पर गौर करना उचित होगा। सीपीसी की धारा 153 के अनुसार **General power to amend.—** The Court may at any time, and on such terms as to costs or otherwise as it may think fit, amend any defect or error in any proceeding in a suit; and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceeding.

धारा 153 सीपीसी के तहत न्यायालय को संशोधन करने की साधारण शक्तिया प्राप्त है। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1981 पेज 34 पेरा संख्या 11 मे यह अवधारित किया है कि –

Civil P.C. (5 of 1908), S.153 - Appeal against dead person - Names of legal representatives of deceased can be impleaded by amending the cause title of the appeal.

Appellate court has authority to allow the appellant to implead the legal representatives of the deceased respondent who is dead at the time of filing the appeal by permitting him to amend the appeal. However, the appeal against the added parties will be deemed to have been filed on the day when such application for seeking permission to amend the cause title of the appeal is filed. It will be for the appellate court to see as to whether the said appeal is to be treated as having been filed within time and as to whether there is sufficient cause for condoning the delay in filing the appeal.

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के साथ–साथ अन्य न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1965 पेज 459 पेरा संख्या 9 व 11, एआईआर 1976 पेज 444 पेरा संख्या 8, एआईआर 1968 पेज 196 प्रस्तुत किये।

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलीय न्यायालय अपील प्रस्तुत करने से पूर्व मृत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार के रूप में संयोजित कर अपील में संशोधन हेतु अनुमति दे सकता है परन्तु इसके लिए अपीलीय न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि संशोधन हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र मियाद के अन्दर हो और उसमें विलम्ब अवधि को कंडोन करने हेतु पर्याप्त/संतोषप्रद कारण दर्शित हो।

इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानाराम की मृत्यु हो चुकी थी। अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानाराम के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार के रूप मे संयोजित करने हेतु अपील मीमो में संशोधन हेतु धारा 153 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 द्वारा यह संशोधन करवाना चाहा है। न्यायहित में अगर प्रार्थना पत्र में अंकित कानूनी धाराओ को नजरअंदाज कर दिया जाए और प्रार्थना पत्र के कथनो के आधार पर इसे धारा 153 सीपीसी अन्तर्गत प्रस्तुत करना माना जाए तो भी न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या यह प्रार्थना पत्र मियाद के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु की दिनांक अंकित नही है। ना ही अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट द्वारा बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु तिथि बताई गई। प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नही है। इस प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न नही है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के लोग है। अपीलांट मूलचंद, कानाराम के भाई का लडका है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नोखा तहसील के निवासी है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सगे चाचा–भतीजे है। इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानाराम की मृत्यु की जानकारी अपीलांट को नही होने की उपधारणा नही की जा सकती है।

इस स्थिति में अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार के रूप में संयोजित करने हेतु अपील मीमो में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र में मृत्यु दिनांक अंकित नही है। इस प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न नही है। विलम्ब अवधि कितनी है तथा इस विलम्ब हेतु संतोषजनक/पर्याप्त कारण दर्शित नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है तथा न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु 2007 पेज 100 पेरा संख्या 9 के अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होती। इस स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की हद तक अबेट होगी अथवा सम्पूर्ण अपील अबेट की जाएगी।

इस संबंध मे पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 5071 हेट नोट बी में यह अवधारित किया गया है कि –

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(B)Civil P.C. (5 of 1908), 0.22 R.3 - Abatement of suit/appeal - Death of defendant/respondent -Non-substitution-Suit/appeal abates as whole if deceased defendant does not have independent and distinct right of his own Suit for declaration of co-ownership right in joint property -Death of one defendant - Suit/appeal would abate as whole.

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत तथा आदेश 22 नियम 2 का अध्ययन किया गया। प्रकरण में 'राईट टू सू' पर विनिश्चय किया जाना है, क्योकि जब किसी प्रकरण में एक से अधिक प्रतिवादी हो और उनमें एक की मृत्यु हो जाती हो और राइट टू सू शेष रहता हो तो वाद शेष प्रतिवादियों के विरूद्ध आगे जारी रहेगा। और यदि 'राईट टू सू' शेष नही रहता है तो अपील सम्पूर्ण रूप से अबेट होगी।

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के अधिकार संयुक्त (Joint and Non Separatable) है। अतः अपील को एक पक्षकार की हद तक खारिज कर प्रकरण में निर्णय पारित नही किया जा सकता है। ऐसा करने से प्रकरण में विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होगी। पक्षकारो के अधिकार संयुक्त होने के कारण एक पक्षकार की मृत्यु की स्थिति में अपील सम्पूर्ण रूप से अबेट होगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 खारिज किया जाता है। अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न होने, विलम्ब के पर्याप्त कारण दर्शित नही करने, पक्षकारो का राईट टू सू शेष नही होने के कारण अपील अपीलांट जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुना गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर